न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"</u>

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23/2021	08.04.2021	11.11.2021

अनवान

1. नानुराम पिता चम्पालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. गोपीलाल पिता नारायण लाल जाति सालवी(बलाई) आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रामचन्द्र पिता नन्दा जाति सालवी(बलाई) आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. राजमल पिता मांगीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. भैरूलाल पिता गोकल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी प्रार्थी

<u>–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया । वकील प्रार्थी व प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोराजी का निम्बाहेडा में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी [illegible] या की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा हडमतिया जा[illegible] तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1482/1281 कुल किता 1 रकबा 1.00 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थर[illegible]/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:09 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 1482/1281 कुल किता 1 रकबा 1.00 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:09 IST
Reason: SelfAttested